न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या	:	41/2023
दायर दिनांक	:	22.12.2023
निर्णय दिनांक	:	04.12.2025

1. सुलतान पुत्र नोल्या जाति मीना, निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महो॰ दौसा
2. माफी मंदिर श्री लक्ष्मण जी जरिये पुजारी लल्लु पुत्र गोविन्दसहाय स्वामी, निवासी भांकरी तहसील दौसा हालवासी फेज नं॰ द्वितीय, झालाना डूंगरी झालाना बी–56 जयपुर
3. गिरधारी पुत्र गोविन्दसहाय स्वामी, निवासी भांकरी तहसील दौसा
4. मोहनलाल पुत्र गोविन्दसहाय स्वामी, निवासी भांकरी तहसील दौसा
5. तहसीलदार दौसा

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 51 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा तन मोजा भांकरी में स्थित रही है। उसके हाल खसरा नम्बर 181 रकबा 0.07 है॰, 182 रकबा 0.34 है॰ कुल रकबा 0.41 है॰ हाल सैटलमेंट बाद दर्ज रिकॉर्ड मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हुए हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 51 के मुताबिक नवीन शीट, साबिक शीट के मुताबिक कायम नहीं की गयी बल्कि अशुद्ध बेजा शीट हाल खसरा नम्बर 181, 182 कायम कर दी गयी। प्रार्थी की खातेदारी साबिक खसरा नम्बर 51 के आगे पश्चिम की ओर खसरा नम्बर 183 हाल व खसरा नम्बर 176 हाल रेवेन्यु का रकबा व इन्द्राज शीट में नहीं था बल्कि सैटलमेंट पूर्व गै॰मु॰ पाल व रास्ता सदीम का रहा है। उस पाल व रास्ते की भूमि का अशुद्ध अंकन अप्रार्थीगण के हक में अशुद्ध हो जाने की गरज से दखलंदाजी की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 183 व खसरा नम्बर 176 की ओट में बेजा निर्माण किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगण को दावे के निर्णय तक इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 182 के आगे शीट के अशुद्धि अंकित खसरा नम्बर 183 व 176 की ओट में कोई निर्माण करने से स्वयं अथवा किसी संस्था ऐजेन्सी से कराने से प्रतिबन्धित रहे। प्रार्थी की आराजीयात के आगे होकर गै॰मु॰ पाल के पास होकर आने जाने के सदीम के रास्ते में कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की ओर से जवाब पेश न किये जाने के कारण इनका जवाब बन्द किया गया।

4/12/25
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला** : पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2072–2073 अनुसार ग्राम भांकरी तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 183 माफी मन्दिर श्री लक्ष्मण जी खातेदार के नाम एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 अनुसार ग्राम भांकरी तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 176 किस्म गै॰मु॰ शमशान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का सन्तुलन** : चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना नहीं पायी जाती है। अतः सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।
3. **अपूर्णीय क्षति** : प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

4/12/25

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)